27

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक:- 2436 दिनांक:- 29/9/86

वाद संख्या :- 1- 10/83(34)

2- 10/83(101)

3- 10/83(103)

4- 10/83(117)

5- 10/83(127)

6- 10/83(128)

7- 10/83(134)

8- 10/83(141)

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कालोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम श्योपुर, सांगानेर, बम्बाला का उपरोक्त वादों की कुल भूमि रकबा 70 बीघा 3 बिस्वा।

पीठासीन अधिकारी:-1- श्री बी०एम०शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान-जयपुर।

पक्षकारान :-
1- श्री छुबा पुत्र नानगराम।
2- श्री जगन्नाथ, बदरी पुत्र श्योबक्स।
3- श्री दामोदर लाल शर्मा पुत्र रामनाथ।
4- श्री रामप्रसाद पुत्र देवबक्स।
5- श्री सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्दनारायण पुत्र कालूराम।
6- श्री सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्दनारायण पुत्र कालूराम, राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र बद्रीनारायण।
7- श्री राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र श्री बदरीनारायण।
8- श्री भौंरीलाल पुत्र बालूराम।
9- राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर जरिये श्री एल०सी० गुप्ता, भूमि अवाप्ति अधिकारी।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय कालोनी हेतु ग्राम, श्योपुर, सांगानेर, बंबाला एवं खोखावास जिला जयपुर की 1213 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक प07(3) नविआ/83 दिनांक 22-8-83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में

क्रमशः:----2----

दिनांक 22-8-83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उपधारा ६1६ में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय-विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक प07६20६ नविआ/111/83 दिनांक 19 मार्च, 1984 जो राजस्थान राज-पत्र के भाग । ६ख६ में दिनांक 19 मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17६4६ की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9६1६ को नोटिस दिनांक 23-5-84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई जिसके अनुसार दिनांक 11-6-84 को कुल 1173बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन-मण्डल के प्रतिनिधि को सम्भलवाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की 9६3६ के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

4- वर्तमान में उपरोक्त में से कुल 70 बीघा 03 बिस्वा का ही अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं0	भूमि का क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा
1-	10/83६34६	श्री खूबा पुत्र नानगराम	678/1584	3	02
2-	10/83६101६	श्री जगन्नाथ, बदरी पुत्र श्री श्योबक्स ।	80	1	01
			81	0	01
			82	0	16
			84	1	02
			80/594	0	18
			80/595	0	11
			80/596	0	12

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः----3----------

क्र.सं.	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं०	बीघा	बिस्वा
			80/597	1	07
			80/599	0	13
			80/600	0	09
			82/601	0	19
			82/602	1	14
			82/603	0	03
			80/608	0	12
			80/598	0	03
			कुल भूमि	11	01
3-	10/83 (103)	श्री दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री रामनाथ	89	2	17
4-	10/83 (117)	श्री रामप्रसाद पुत्र देवबक्स	212	2	06
			269	1	01
			286	1	12
			287, 288	1	03
			289	0	01
			290	0	13
			269/635	1	13
			269/636	1	08
				9	17
5-	10/83 (127)	सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्द नारायण, घनश्याम पुत्र श्री कालूराम ।	311	1	05
6-	10/83 (128)	सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्द नारायण, घनश्याम पुत्र कालूराम राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र बदरीनारायण ।	312	0	12
			313	0	10
			314	0	19
			325	0	04
			326	0	17
			327	0	14
			328	0	05
			329	0	17
			330	1	02
			333	0	15
			344	1	07
			347	0	05
			382	1	05
			कुल भूमि	9	12

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5	6
7-	10/83(134)	श्री राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, राधावतार पुत्र बदरीनारायण ।	331	0	12
			334	0	09
			342	0	15
			343	0	14
			346	0	09
			335	0	10
				3	09
8-	10/83(141)	श्री भौंरीलाल पुत्र बालूराम	406/716	29	00
			कुल भूमि	70	03

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अत: तदनुसार अवार्ड दिया जा रहा है ।

6- अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा क्लेम प्रस्तुत किया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) वाद संख्या 10/83(34) श्री खूबा पुत्र नानगराम द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया ।

(2) वाद संख्या 10/83(101) श्री जगन्नाथ, बदरी पुत्र श्योबक्स द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- यह कि भूमि 12 बीघा 15 बिस्वा आराजी की कीमत 60,000/-रु0 प्रतिबीघा की दर से 7,65,000/- रु0 प्रतिबीघा है । जिस आधार पर कीमत मांगी गई है ।
2- उपरोक्त भूमि में पुख्ता कुआ बना हुआ है । जिसमें कुआ, मय बोरिंग बिजली व बिजली घर का मुआवजा क्रमश: 80,000/-, 2000/-, 30,000/- रु0 मुआवजा दिलाया जावे ।
3- यह कि भूमि के चारों डोला बना हुआ है जिसका मुआवजा 10/- प्रति गज के हिसाब से दिलाया जावे ।
4- यह कि डोली के ऊपर पानी के पूले पूजे डोली के चारों ओर लगे हुए हैं जिसका मुआवजा 20,000/- दिलाया जावे ।
5- यह कि भूमि पर स्थित पेडों का मुआवजा 20,000/- रुपये दिलाये जावे ।
6- यह कि अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% दिलाया जावे ।
7- यह कि प्रार्थी अवाप्ति की कार्यवाही में धनव्यय करना पड रहा है इस आधार पर 5 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर अतिरिक्त मुआवजा दिलाया जावे ।
8- प्रार्थी को मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाया जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:----5------

29

9- यह कि दावेदार भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तीन वर्ष तक एक बार 10,000/- खाद डलवाता है । इसलिए खाद का मुआवजा 10,000/- रूपये दिलाया जावे ।

10- यह कि प्रार्थी को जमीन में से जंगली पेड निकलवाने के 2000/- रूपये दिलवाये जावे ।

अत: क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुआवजा उपरोक्त विवरण के अनुसार दिलाया जावे तथा मुआवजे को दो भागों में विभाजित किया जाकर प्रत्येक को पृथक-पृथक हिस्सा दिलाया जावे ।

§3§ वाद संख्या 10/83§103§ श्री दामोदर लालशर्मा पुत्र रामनाथ द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

---

1- यह कि कुल भूमि 2 बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा 80,000/- रूपये प्रतिबीघा की दर से रूपये 2,68,000 दिलाये जावे।

2- जमीन के चारों ओर कच्ची डोली के 3,000/- रूपये दिलाये जावे ।

3- पेडों का मुआवजा 9,000/- दिलाये जावे ।

4- आर०सी०सी० कुआ के 1,00,000/- दिलाये जावे ।

5- कुए में मोटर पम्प के 25,000/- रूपये दिलाये जावे ।

6- जमीन में ए०सी० पाईप के 3,000/- रूपये दिलाये जावे ।

7- गुमटी की कीमत 3,000/- रूपये दिलाया जावे ।

8- एक होद के 5,000/- दिलाये जावे ।

9- एक छप्पर बना हुआ है जिसके 10,000/- रूपये दिलाये जावे ।

10- लेवलिंग चार्जेज 25,000/- रूपये दिलाये जावे ।

11- बंजर जमीन से उपजाऊ बनाने की लागत 40,000/- दिलाई जावे ।

12- प्रभी को जमीन खाली करने के 5,000/- दिलाये जावे ।

13-भूमि - अवाप्ति के दिवस से मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि पृथक से दिलाई जावे । इस प्रकार कुल 4,96,000/- रूपये दिलाये जावे ।

§4§ वाद संख्या 10/83§117§ श्री रामप्रसाद पुत्र देवबक्स द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

---

1- यह है कि कुल भूमि रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा से 40,800/- वार्षिक आय होती है जिसका मुझे 10,66,000/- रूपये दिलाये जावे ।

2- यह है कि कुल भूमि 12 बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा 82,000/- प्रतिबीघा की दर से 10,53,700/- रूपये दिलाये जावे ।

3- यह है कि भूमि पर स्थिति पेडों का मुआवजा 51,400/- रूपये दिलाये जावे ।

4- यह है कि उक्त भूमि में बना कूँआ गिद का मुआवजा 40,000/- रूपये दिलाये जावे ।

5- यह है कि भूमि के चारों और बाउन्ड्री वाल के 8,500/- रूपये एवं फूलों की आय का कम्पाउन्ड मुआवजा 20,000/- रूपये दिलाये जावे ।

6- यह है कि भूमि को उपजाऊ बनाने के एवं पानी की नालियां बनाने के खर्चा 1,940 रूपये दिलाये जावे । इस प्रकार कुल 11,67,040 रूपये दिलाये जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:----6=====

7- यह कि कम्पलसरी एक्वीजिशन का कम्पनशेसन 10 प्रतिशत रूपये 1,16,704/ दिलाये जावे ।

8- यह कि उक्त भूमि से हटाया जाता है तो उसका मुआवजा राशि का 10% रूपये 1,16,704 रूपये दिलाये जावे ।

9- यह है कि उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसका 58,302 रूपये दिलाये जावे ।

10- इस प्रकार प्रार्थी को कुल 14,58,750 रूपये दिलाये जावे ।

{5} वाद संख्या 10/83{127}श्री सत्यनारायण,प्रभुलाल,गोविन्दनारायण पुत्र श्री कालूराम द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

---

1- यह कि कुल भूमि 1 बीघा 2 बिस्वा से 22,000/- रूपये वार्षिक आय होती है जिसका मूल्यांकन हेतू कैपिटलाइजेशन मेथड किया जाने पर 1,10,000/- रूपये बनता है ।

2- कुल भूमि 1 बीघा 2 बिस्वा का मुआवजा 82,000/- रूपये प्रतिबीघा की दर से कुल 98,000/- रूपये दिलाये जावे ।

3- यह कि उक्त भूमि पर स्थित पेडों का मुआवजा रूपये 3,000/- दिलाये जावे ।

4- उक्त भूमि के चारों ओर डोली कच्ची है उसका मुआवजा एवं डोली पर पर लगे पूलों का कम्पाउड मुआवजा रूपेय 4500/- दिलाये जावे ।

5- इस प्रकार कुल 1,05,500/- रूपये दिलाये जावे ।

6- यह कि कम्पलसरी एक्वीजिशन का कम्पनशेसन 10 प्रतिशत देय है जो कि 1,055 रूपये दिलाये जावे ।

7- यह कि उक्त समस्त व्यवसाय तथा कृषि,आवास आदि को शिफिटंग करने उसका मुआवजा राशि पर 10% शिफिटिंग चार्जेज दिलाया जावे ।

8- यह कि उक्त स्थल से बेदखल किये जाने का कुल मुआवजा का 5 प्रतिशत रूपया 527•50 दिलाये जावे ।

9- इस प्रकार कुल मुआवजा रूपये 1,08,137•50 पैसे दिलाये जावे ।

{6} वाद संख्या 10/83{128} श्री सत्यनारायण,प्रभुदयाल,गोविन्दनारायण, पुत्र कालूराम,राधेश्याम,कैलाशचन्द्र,रामावतार पुत्र बदरीनारायण द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

---

1- यह कि कुल भूमि 9 बीघा 12 बिस्वा से 85,000/- रूपये वार्षिक आय होती है अत: मूल्यांकन हेतू कैपिटलाइजेशन मेथड किया जाने पर 85,000/- होता है ।

2- यह कि कुल भूमि 9 बीघा 12 बिस्वा का मुआवजा 82,000/-रूपये प्रतिबीघा की दर से कुज 7,83,100 रूपये दिलाये जावे ।

3- उक्त भूमि पर स्थित पेडों का मुआवजा रूपये 7,500 दिलाये जावे।

4- यह कि उक्त पेडों से होने वाली आय के 7,500/- रूपये दिलाये जावे ।

5- यह कि उक्तभूमि पर स्थित कुँआ के 40,000/- रूपये दिलाये जावे ।

6- यह कि उक्त भूमि के चारों और कच्ची बाउन्ड्री वाल बनी है एवं उस पर लगे पूलों की आय एवं मूल्य का कम्पाउन्ड मुआवजा रूपये 2,970 रूपये दिलाये जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:----7------

30

7- यह कि उक्त सम्पति को विकसित करने के लिए किया गया खर्चा एवं पानी की नालियां बनाने के 1,880 रूपये दिलाये जावे ।

8- इस प्रकार प्रार्थीगण को कुल 7,94,450 रूपये दिलाये जावे ।

9- यह कि कम्पलसरी एक्वीजिशन चार्जेज कम्पनशेसन पर 10%दिलाया जावे जिसका रूपया 78,795/- बनते हैं ।

10- यह कि उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसका सामान अन्यत्र ले जाने का मुआवजा राशि का 10 % प्रतिशत शिफ्टिंग चार्जेज दिलाया जावे ।

11- यह कि मुआवजा राशि का 5 प्रतिश हार्डशिप का दिलाया जावे । जिसका रूपया 39,398/- रूपये बनते हैं ।

इस प्रकार कुल 9,84,938 रूपये दिलाये जावे ।

{7} वाद संख्या 10/83{134} श्री राधेश्याम,कैलाशचन्द्र,रामावतार पुत्र बदरीनारायण द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- यह कि कुल भूमि रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा से 17,000/- रूपये वार्षिक आय होती है । अत: मूल्यांकन कैपिटलाइजेशन मैथड किया जाने पर 3,40,000/- रूपये दिलाये जावे ।

2- यह कि कुल भूमि 3 बीघा09 बिस्वाका 82,000/- रूपेय प्रतिबीघा की दर से कुल 28,2900 रूपये दिलाये जावे ।

3- यह कि उक्त भूमि पर स्थित पेडों की आय का मुआवजा 12,800/- रूपये अलग से दिलाये जावे ।

4- यह कि उक्त भूमि पर स्थित पेडों का मुआवजा 12,800/- रूपये दिलाये जावे ।

5- यह कि उक्त भूमि में बना कूँआ जिसका मुआवजा 40,000/- रूपये दिलाये जावे ।

6- यह कि सम्पति के चारों ओर लगी कच्ची डोली एवं उस पर लेग पानीके पूलों की आय आदि का कम्पाउन्ड मुआवजा रू से 3,000/- दिलाये जावे ।

7- यह कि उक्त भूमि को कृषि कार्य के लिए उपजाऊ बनाने हेतु एवं पानी की नालियां बनाने का मुआवजा 3,000/- रूपये दिलाये जावे ।

8- यह कि उक्त सभी मदों का मुआवजा रूपये 3,21,700/- रूपये दिलाये जावे ।

9- यह कि कम्पलसरी एक्वीजिशन का मुआवजा 10 प्रतिशत देय है जो 32,170 रूपये दिलाये जावे ।

10- यह कि उक्त समस्त व्यवसाय तथा कृषि,आवास आदि को प्रार्थी को अन्यत्र ले जाना होना उसका मुआवजा राशि पर 10% अलग से शिफ्टिंग चार्जेज दिलाया जावे ।

11- यह कि उक्त स्थल को छोडने का 5 प्रतिशत हार्डशिप का 16,065रूपये दिलायें जावे ।

इस प्रकार कुल 4,03,105 रूपये मुआवजा दिलाया जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:----8------

{8} वाद संख्या 10/83{14}{ श्री भौंरीलाल पुत्र चा[illegible] द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- यह कि कुल भूमि रक्बा 29 बीघा का मुआवजा 60,000/- रूपेय प्रतिबीघा की दर से 17,40,000 रूपये दिलाये जावे ।

2- यह कि उक्त भूमि के पास सभी सुविधायें होने के कारण 29 बीघा की कीमत के मुआवजे के अतिरिक्त भूमि की पोटेन्शियालिटी वैल्यू का मुआवजा 20,000/- प्रतिबीघा की दर से 5,80,000/- दिलाये जावे ।

3- यह कि उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने में 50,000/- रूपये व्यय किया गया उसका 50,000/- रूपये दिलाये जावे ।

4- यह कि उक्त भूमि पर बना कूँआ, बोरिंग आदि का मुआवजा रूपये 98,000/- रूपये दिलाये जावे ।

5- यह कि कूँए के पास बनी गुमटी के 2,000/- रूपेय दिलाये जावे ।

6- यह कि उक्त कूए में लगी विजली मोटर का 8,000/- रूपये मुआवजा दिलाया जावे ।

7- यह कि विजली के सामान के 15,000/- रूपये दिलाये जावे ।

8- यह कि सिंचाई के लिए बनाये गयें नालों के 7,500 रूपये दिलाये जावे ।

9- यह कि सिंचाई हेतु जमीन में सीमेन्ट नालियां लगाई गई उसका मुआवजा रूपये 10,000/- दिलाया जावे ।

10- यह कि उक्त भूमि में पानी के लिए होदी बनाई गई है उसका मुआवजा रूपये 14,000 दिलाये जावे ।

11- यह कि उक्त भूमि में सिंचाई हेतु पुख्ता होद बना हुआ है उसका मुआवजा 25,000/- दिलाये जावे ।

12- यह कि भूमि के चारों ओर कच्ची डोली बनी हुई है उसका मुआवजा 35,000/- रूपये दिलाये जावे ।

13- यह कि उक्त भूमि के चारों ओर कच्ची डोली पर कूँचे लगा रखे है जिसकी आय प्रतिवर्ष 20,000/- होती है अत: इसका 20 गुना 4,00,000/- रूपये कूँचों का मुआवजा दिलाया जावे ।

14- यह कि उक्त भूमि पर स्थित पेडों का मुआवजा रूपये 1,30,000/- रूपये दिलाये जावे ।

15- यह कि उक्त भूमि में लगे 2 शहतूत, 16 लेहशवा 9, आंवले, 3 वृक्ष अरडू 2 नीबू, 18 खेजडा, 26 वम्बूल, 2पेड नीम । पेड छलीस एक पेड केसूला है उसकी आय का 20 गुना क्रमश: 40,000, 3,20,000, 90,000, 60,000, 40,000, 28,800 रूपये एवं 250 गुलाब के पेडों का मुआवजा रूपये 5,00,000/- दिलाये जावे।

16- यह कि उक्त भूमि पर छप्पर बने हुए हैं उसका मुआवजा 15,000/- रूपये दिलाये जावे ।

क्रमश:---9------

उपशासन सचिव / निदेशक
ग्रामीण विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

31

17- यह कि प्रार्थी की भूमि अवाप्त की जा रही है इसलिए प्रार्थी को अपना सामान वगैरह अन्यत्र शिफ्ट करना होगा अत: शिफ्टिंग चार्जेज 10,000/- रूपया दिलाया जावे ।

18- यह कि प्रार्थी की भूमि अनिवार्य रूप से अवाप्त की जा रही है अत: मुआवजे की राशि पर 20प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जावे ।

19- यह कि प्रार्थी की भूमि अवाप्त की जा रही है जिससे भूमि की कार्यवाही में समय एवं धनखर्च करना पडेगा । अत: प्रार्थी को मुआवजे की राशि पर 10प्रतिशत कि दर से 5,07,396 रूपये दिलाये जावे ।

20- यह कि प्रार्थी की भूमि का कब्जा दिनांक 11-6-84 को लिया जा चुका है अत: मुआवजे की राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिलाया जावे ।

21- यह कि उक्त भूमि में एक पुख्ता मकान बना हुआ है जिसका मुआवजा 1,25,000/- रूपये एवं इसकी कीमत का इस कीमत पर 20 प्रतिशत सोलेशियम के 25,000/- कुल 1,50,000/- इस राशि पर दिनांक 11-6-84 से ब्याज दिलाया जावे ।

7- राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के क्लेम का उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुए अस्वीकार किया तथा यह बताया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000 रूपये प्रतिबीघा हो सकती है ।

8- भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न प्रकार सूचित किया गया :-

1- वाद संख्या 10/83(34) श्री सूबा पुत्र नानगाराम :-

उपरोक्त वाद में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

2- वाद संख्या 10/83(101) श्री जगन्नाथ,बदरी पुत्र श्योबक्स :-

1-	आर०सी०सी० कुँआ	11,674·20 रूपये
2-	बिजली की गुमटी	363·88 रूपये
3-	थैच रूफ हट	165·00 रूपये
	कुल योग	12203·08 रूपये

3- वाद संख्या 10/83(103) श्री दामोदर लाल शर्मा पुत्र रामनाथ ।

1-	अर्थन डोला	771·88 रूपये
2-	पेडों का कुल मुआवजा	650·00 रूपये
3-	आर०सी०सी० कुआ, मय बोरिंग	23,391·18 रूपये
4-	इलेक्ट्रीक गुमटी	398·91 रूपये
5-	हौद 2	502·92 रूपये
	कुल	25,714·89 रूपये

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:----10-----

4- वाद संख्या 10/83(117) श्री रामप्रसाद पुत्र देवबक्स :-

1- कुआ (मेसेनरी)	3206·48 रुपये
2- घुमटी	361·74 रुपये
3- बोरिंग	9663·75 रुपये
कुल योग	13231·97 रुपये

5- वाद संख्या 10/83(127) श्री सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्द-नारायण पुत्र बालूराम :-

1- अर्थन डोला

6·84 सें0मी0 दर 2·50/-रू0 प्रति सें0मी0 17·10 रुपये

6- वाद संख्या 10/83(128) श्री सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्द-नारायण पुत्र कालूराम, राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामवतार पुत्र श्री बद्रीनारायण :-

1- कुआ	17949·31 रुपये
2- प्लेटफार्म	249·45 रुपये
3- इलेक्ट्रिक घुमटी	426·65 रुपये
4- वाटर टैंक	96·35 रुपये
5- चैम्बर	56·61 रुपये
6- पक्का ढोरा	39·91 रुपये
7- बोरिंग	10165·50 रुपये
	28984·08 रुपये

7- वाद संख्या 10/83(134) श्री राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र श्री बद्रीनारायण :-

उपरोक्त वाद में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

8- वाद संख्या 10/83(141) श्री भौरीलाल पुत्र बालूराम :-

1- आर0सी0सी0 कुआ	26294·03 रुपये
2- बिजली की घुमटी	847·96 रुपये
3- वाटर टैंक	317·69 रुपये
4- बोरिंग	9186·75 रुपये
5- चैम्बर	128·96 रुपये
6- ए0सी0 पाइप	1577·68 रुपये
7- पक्का धोरा	302·66 रुपये
	38655·73 रुपये

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

9- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जबाब के समर्थन में तीन विक्रयपत्र क्रमशः दिनांक 24 अक्टूबर, 1983, 15 मार्च, 1984 एवं 30-5-83 की प्रतियां पेश की गई ।

क्रमशः:-----11------

32

-:: 11::-

10- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा निम्न प्रकार दस्तावेज अपने पक्ष के समर्थन में पेश किये गये :-

§1§ विक्रय पत्र दिनांक 31-3-84 की फोटो प्रति ।

§2§ भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत-2, जयपुर के अवार्ड दिनांक 4-2-85 की फोटो प्रति ।

§3§ भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत-2, जयपुर के अवार्ड दिनांक 20-2-85 की फोटो कापी ।

11- उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 60,000/- रूपये, 80,0000/- रूपये एवं 82,000/- रूपये प्रतिबीघा दिये जाने की मांग की गई ।

12- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि इस कृषि भूमि की कीमत अधिक से अधिक रूपये 10,000/- प्रतिबीघा हो सकती है इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24-10-83 जिसमें ग्राम श्योपुर की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि रूपये 29,999/- में बेची गई है, की फोटो पेश की है जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत रूपये 9,523/- प्रतिबीघा है, किन्तु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने से यह तथ्य जानकारी में आता है एवं यह विक्रय पत्र में अंकित भी किया गया है:-

" यह भूमि बंबाला नदी के पास स्थित है।। विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चपेट में आ जाने से खाले पड रहे हैं तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ या पौने दो बीघा जमीन ही कार्य की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है-----------

इस प्रकार यह विक्रयपत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3 बीघा 3 बिस्वा दिया जाना बताया गया है लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या एक चौथाई ही विक्रय की गई है. एवं चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिए इस विक्रयपत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर निश्चित किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने कथन के समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15-3-84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम श्योपुर में 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रूपये 30,000/- में विक्रय किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/- रूपये प्रतिबीघा है । इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि "विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3 किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड साइड पर नहीं है एवं भूमि बारानी है ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः---12-----

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है, अत: इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम बंवाला की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30-3-83 को रुपये 25,000/- में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग रुपये 9,500/ आती है। इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि टोंक रोड से करीबन 1-1/2 मील अन्दर क्षेत्र में है इसलिए मेरे विचार में इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

13- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 31-3-84 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम सांगानेर में 10 बिस्वा बंजड भूमि रुपये 47,999 में विक्रय की गई है इसके अनुसार भूमि की दर लगभग रुपये 96,000/- प्रतिबीघा आती है।

14- इस मामले में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही विक्रय किया गया है एवं भूमि की स्थिति भी बिल्कुल भिन्न है। भूमि के एक छोटे से हिस्से को विक्रय किये जाने की दर को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विशाल स्तर पर अवाप्त किये जाने वाली भूमि के मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता, अत: इन विक्रय पत्रों के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा।

15- इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति-अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत-2, जयपुर के अवार्ड दिनांक 4-2-85 एवं 20-2-85 की प्रतिलिपि पेश की गई है जिसके अनुसार ग्राम बंवाला में बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा रु0 40,000 प्रतिबीघा की दर से तय किया गया है, कुन्तु इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को भूमि विशेष की ही आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है। अत: इस अवार्ड के आधार पर भी वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

16- मैंने इन प्रकरणों में सम्बन्धित मौके का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस सुनी।

क्रमश:---13------

33

यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप ही सांगानेर हवाई अड्डा भी स्थित है । अत: भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है ।

17- इन मामलों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पेडों के बावत जवाब में यह लिखा गया है कि पेड भूमि का एक अंश है और दावेदार ने अपने लाभ के लिए इन पेडों को लगाया था और काफी लम्बे समय से इनकी पत्तियां एवं लकडी आदि से आय प्राप्त कर चुका है इसलिए अब इन पेडों का किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

मैं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत इस दलील से सहमत नहीं हूँ न्यायिक दृष्टिकोण से खातेदार को भूमि के मुआवजे के साथ-साथ पेडों आदि का मुआवजा भी पृथक से मिलना चाहिये । अत: इन मामलों में मौके की स्थिति के अनुसार पेडों का मुआवजा निर्धारित किया जाता है ।

18- वाद संख्या 10/82ﾠ(101) में कब्जा फर्द में कब्जा लेने के समय खसरा नं० 80/594 रकबा 18 बिस्वा दोबारा अंकित हो गया है । जिसमें कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि का कब्जा लेना बताया गया है । जबकि वास्तव में 11 बीघा 01 बिस्वा का ही कब्जा लिया गया है एवं उसी का मुआवजा दिया जा रहा है इसी पत्रावली में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के साथ में जो तकमीना परिशिष्ठ संलग्न किया गया है उसमें बोरिंग का मुआवजा रूपये 16,264•80 लिख कर काट दिया गया है जब कि मौके पर बोरिंग मौजूद है एवं राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता द्वारा जो तकमीना प्रधान कार्यालय को भेजा गया है उसमें बोरिंग का मुआवजा रूपये 16,264•80 अंकित किया गया है अत: इसे स्वीकार किया जाता है ।

19- इन मामलों में दावेदारों के वकील द्वारा वक्त बहस यह मांग की गई थी कि अनीवार्य अवाप्ति हेतु दिये जाने वाले सोलेशियम की दर 10% के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 30% कर दी गई है व ब्याज की दर 4% के स्थान पर 12% कर दी गई है तथा यह ब्याज कब्जे की दिनांक से दिये जाने के स्थान पर धारा 4(1) की विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक से दे दिया गया है, अत: उनको भी निर्देशों के अनुसार सोलेशियम व ब्याज की राशि भी दी जावे । किन्तु केन्द्रीय सरकार के इन निर्देशों के बावत इस न्यायालय को कोई जानकारी नहीं है एवं न ही राजस्थान सरकार द्वारा इस बावत कोई निर्देश इस न्यायालय को प्राप्त हुए है । अत : दावेदारों

क्रमश: -----14------

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

की यह मांग वर्तमान में स्वीकार किया जाना उचित नहीं है एवं नियमानुसार सोलेशियम 10% व ब्याज 4% दिया जाता है तथा यदि राज्य सरकार द्वारा इस बाबत भविष्य में कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उन निर्देशों के अनुसार इन मामलों में कार्यवाही की जा सकती है।

20- उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजा निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) वाद संख्या 10/83(34) श्री सुवा पुत्र नानगराम :-

1- कुल भूमि 3 बीघा 02 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000 प्रतिबीघा की दर से रूपये	74,400.00 रूपये
2- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से :-	7,440.00 रूपये
	81,840.00 रूपये
3- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 11-6-84 से 22-9-86 तक :-	7,470.98 रूपये
	89,310.98 रूपये

(2) वाद संख्या 10/83(101) श्री जगन्नाथ, बदरी पुत्र श्योबक्स :-

1- कुल भूमि 11 बीघा 01 बिस्वा का मुआवजा रूपये 25,500 प्रतिबीघा की दर से रूपये :-	2,61,775.00 रूपये
2- कूएं आदि का तकमीना रा0आ0म0 के अनुसार :-	16,264.00 रूपये
3- अन्य निर्माण का तकमीना रा0आ0म0 के अनुसार :-	12,203.08 रूपये
4- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार :-	3,400.00 रूपये
	2,91,642.08 रूपये
5- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से :-	29,164.20 रूपये
	3,20,806.28 रूपये
6- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :-	29,215.34 रूपये
	3,50,021.62 रूपये
श्री जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स हि0 1/2	1,75,010.81 रूपये
श्री बदरी पुत्र श्योबक्स हि0 1/2	1,75,010.81 रूपये

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:----15-----

34

(3) वाद संख्या 10/83(103) श्री दामोदर लाल पुत्र श्री रामनाथ :-

1- कुल भूमि रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा 25,500/- रूपये प्रतिबीघा की दर से रूपये — 72,675.00 रूपये
2- कूप आदि का तकमीना रा0आ0म0 के अनुसार रूपये — 25,714.89 रूपये
3- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार :- — 650.00 रूपये

99,039.89 रूपये

4- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से:- — 9,903.98 रूपये

1,08,943.87 रूपये

5- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :- — 9,945.23 रूपये

1,18,889.10 रूपये

(4) वाद संख्या 10/83(117) श्री रामप्रसाद पुत्र देवबक्स :-

1- कुल भूमि रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा रूपये 25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये :- — 2,46,250.00 रूपये
2- कुँआ व बोरिंग का मुआवजा रा0आ0म0 द्वारा प्रस्तुत तकमीने के अनुसार :- — 13,231.97 रूपये
3- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार :- — 2,550.00 रूपये
4- बाउन्ड्री वाल का मुआवजा — 500.00 रूपये

2,62,531.97 रूपये

5- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से :- — 26,253.19 रूपये
6- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :- — 26,362.52 रूपये

3,15,147.68 रूपये

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

(5) वाद संख्या 10/83(127) सत्यनारायण, प्रभुदयाल, गोविन्दनारायण, घनश्याम पुत्र कालूराम :-

1- कुल भूमि रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा का मुआवजा 25,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से रूपये :- — 31,250.00 रूपये
2- डोले का मुआवजा रा0आ0म0 के तकमीने के अनुसार :- — 17.10 रूपये

क्रमशः:-----16-------

3-अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से रूपये :- 3,126.71 रूपये

34,393.81 रूपये

4- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :- 3,139.73 रूपये

37,533.54 रूपये

(6) वाद संख्या 10/83(128) श्री प्रभुदयाल, गोविन्द नारायण, सत्यनारायण, धनश्याम पुत्र कालूराम हि0 1/2, राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र बदरीनारायण हिस्सा 1/2.

1- कुल भूमि रकवा 9 बीघा 12 बिस्वा का मुआवजा 25,000 रूपये प्रतिबीघा की दर से रूपये :- 2,40,000.00 रूपये

2- कुंआ, बोरिंग आदि का मुआवजा रा0आ0म0 के तकमीने के अनुसार 28,984.08 रूपये

3- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार :- 11,735.00 रूपये

2,70,719.08 रूपये

4- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से :- 27,071.90 रूपये

2,97,790.98 रूपये

5- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :- 27,184.64 रूपये

3,24,975.62 रूपये

(1) प्रभुदयाल, गोविन्द नारायण, सत्यनारायण, धनश्याम पुत्र कालूराम हिस्सा 1/2. 1,62,487.81 रूपये

(2) राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/2. 1,62,487.81 रूपये

(7) वाद संख्या 10/83(134) श्री राधेश्याम, कैलाशचन्द्र, रामावतार पुत्र श्री बद्रीनारायण :-

1- कुल भूमि रकवा 3 बीघा 09 बिस्वा का मुआवजा 25,000 रूपये प्रतिबीघा की दर से :- 86,250.00 रूपये

2- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार :- 705.00 रूपये

86955.00 रूपये

3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से :- 8,695.50 रूपये

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः----17------

35

4- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :- 8,731·71 रूपये

1,04,382·21 रूपये

§8§ वाद संख्या 10/83§141§ श्री भोंरीलाल पुत्र बालूराम :-

1- कुल भूमि रकबा 29 बीघा का मुआवजा 25,000/- रूपये प्रतिबीघा की दर से :- 7,25,000·00 रूपये

2- कुँआ, बोरिंग आदि का तखमीना रा0 आ0म0 के तखमीने के अनुसार :- 38,655·73 रूपये

3- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार :- 6,850·00 रूपये

7,70,505·73 रूपये

4- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% वार्षिक की दर से :- 77,050·57 रूपये

8,47,556·40 रूपये

6- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11-6-84 से 22-9-86 तक :- 77,371·43 रूपये

9,24,927·73 रूपये

इस प्रकार आज दिनांक 22-9-86 को कुल 70 बीघा 03 बिस्वा का अवार्ड घोषित किया गया । अधिनियम की धारा 12§1§ के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियों में शामिल फाईल हो एवं धारा 12§2§ के अनुसार सम्बन्धित दावेदारान को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं तहसीलदार, सांगानेर को प्रेषित हो ।

अवार्ड खुले इजलास सुनाया गया ।

विशेषाधिकारी

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राज0जयपुर ।

क्रमांक:-2436 दिनांक:-22/9/86

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

§1§ श्रीमान शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0जयपुर।
§2§ श्रीमान आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
§3§ सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
§4§ तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर ।
§5§ सम्बन्धित खातेदार/हितधारी श्री ---------------------------
श्री रखबा पुत्र जानाराम

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राज0जयपुर।

/रवि/